5 12/19 पत्रावली पेश हुई। बार-बार आवाज लगवाये जाने के बाद भी न तो अभिभाषक अपीलांट और न ही स्वयं अपीलान्ट उपस्थित। अतः अपील अपीलान्ट अदम हाजिरी अदम पैरवी में खारिज की जाती है पत्रावली कैसल्ल शुमार होकर नम्बर से रूम की आलर बाद तबमील जाब्ता दाखिल दफ्तर की जावे।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर